सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
फाल्गुन 23, बुधवार, *शाके* 1945-मार्च 13, 2024 *Phalguna 23, Wednesday , Saka 1945- March 13 , 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 07, 2024

संख्या: 07/भू.अ./ज.स./2021/271-275:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बीसलपुर परियोजना की बायीं मुख्य नहर की आर.डी. 4.50 किमी से 9.50 किमी एवं चैनपुरा माईनर व चैनपुरा सबमाईनर नं. 1 के क्षेत्र में आये ग्राम भैरूपुरा बोटून्दा तहसील टोडारायिंसह जिला टोंक की शेष रही (खसरा नं. 1317 की 0.17 हैक्टेयर) भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु **अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड- तृतीय, बीसलपुर परियोजना, देवली** को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3(जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev - 6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत अतिरिक्त कलक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना, देवली (टोंक) सबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी होगे।

<u>विवरण</u>

अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड- तृतीय, बीसलपुर परियोजना, देवली के अन्तर्गत बीसलपुर परियोजना की बायीं मुख्य नहर की आर.डी. 4.50 किमी से 9.50 किमी एवं चैनपुरा माईनर व चैनपुरा सबमाईनर नं. 1 के क्षेत्र में आये ग्राम भैरूपुरा बोटून्दा तहसील टोडारायिंसह जिला टोंक की शेष रही (खसरा नं. 1317 की 0.17 हैक्टेयर) भूमि हेतु भूमि अर्जन पुनर्वास पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत् विवरण:

क्रं. सं.	परियोजना का नाम	गॉव का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	बीसलपुर पेयजल एवं सिंचाई परियोजना जिला टोंक	भैरूपुरा	बोटून्दा	टोडारायिंसह	टोंक	अतिरिक्त कलक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना, देवली (टोंक)

फार्म-2

(देखे-नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगाः

(क)	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड- तृतीय, बीसलपुर परियोजना, देवली
(ख)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।	बीसलपुर परियोजना की बायीं मुख्य नहर की आर.डी. 4.50 किमी से 9.50 किमी एवं चैनपुरा माईनर व चैनपुरा सबमाईनर नं. 1 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के लिये प्रस्तावित भूमि Private land 0.17 Hect. Government land 0.00 Hect.
(ग)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत: (i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई/ सुनवाईयां भी दें।	1) परामर्श 2) सर्वेक्षण 3) सार्वजनिक सुनवाई
(घ)	यदि ग्राम सभा और/या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे मे कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नही है।
(ड)	सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया एवं समय के अनुसार
(च)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगी	हाँ
(छ)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी।	अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड- तृतीय, बीसलपुर परियोजना, देवली

मुकेश कुमार गुप्ता,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.,
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।